न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 63/2019

उनवान

बीरम पुत्र माना जाति भील निवासी नवाब तहसील नसीराबाद
—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. नारायण,
2. काना पि0. देवी,
3. रंगलाल उर्फ रामलाल,
4. मंदराज,
5. काली पि0 हीरा जाति भील नि0 नवाब, नसीराबाद,
6. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
7. मैनेजर एस.बी.बी.जे. तिहारी, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 5 व 7 अनुपस्थित, 6 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 17.6.25

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्रा् नवाब की वादग्रस्त आराजी वादी वादी की पुश्तैनी खातेदार/काश्तकार है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
158/160	किता 2	0.84
170/175	किता 2	0.14
428/463	किता 6	2.31

उक्त आराजी के मूल खातेदार देवी पुत्र माद्‌ू थे, जिनकी पत्नी धन्नी की भी मृत्यु हो गयी है। देवी पुत्र माद्‌ू के 4 पुत्र नारायण, माना, काना, हीरा है। माना का पुत्र वादी है। आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा पर माना की मृत्यु के बाद बतौर वारिस वादी बीरम का नाम दर्ज करने के बजाय वादी के पिता का नाम माना अंकित कर दिया तथा माना की कोई विरासत राजस्व अभिलेख में अंकित नही की गयी। नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 01.02.20008 में हीरा की विरासत दर्ज करते समय हीरा के वारिसान के साथ त्रुटिपूर्ण तरीके से ... का नाम भी दर्ज कर दिया गया। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर ... कर रहे है। तथा आराजी मुतनाजा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:22:36 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड ...
नसीराबाद (अजमेर)

अन्यत्र हस्तांतरण करने व दखलदांजी करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन मे राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजानारायण, हीरा, काना, माना पि. देवी के नाम खातेदारी दर्ज थी। वादी के पिता का नाम माना है। नामान्तकरण संख्या 46 दिनांके 01.02.20088 द्वारा हीरा पुत्र देवीी की विरासत दर्ज करते समय वादी माना का नाम भी हीरा के अन्य वारिसान के साथ अंकित कर दिया जबकि वादी हीरा का पुत्र नही है। आराजी मुतनाजा में भी वादी का नाम हीरा के वारिसान के साथ दर्ज कर दिया गया जबकि वादी के पिता का नाम माना है जो वादीी द्वारा प्रस्तुत शजरा प्रमाण पत्र से भी सिद्व है। आराजी मुतनाजा पर वादी के पिता का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया है। वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम नवाब के हाल खाता संख्या 4288/463 किता 6 रकबा 2.31, 170/175 किता 2 रकबा 0.14 व 158/160 किता 2 रकबा 0.84 की आराजी पर वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर दर्ज बीरम पि. हीरा का नाम तर्क किया जावे व नियमानुसार माना पि. देवी की विरासात की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:22:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

बीरम बनाम काना

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 63/20219
पेश करने की दिनांक – 11.06.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम नवाब के हाल खाता संख्या 4288/463 किता 6 रकबा 2.31, 170/175 किता 2 रकबा 0.14 व 158/160 किता 2 रकबा 0.84 की आराजी पर वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर दर्ज बीरम पि. हीरा का नाम तर्क किया जावे व नियमानुसार माना पि. देवी की विरासात की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 6 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:22:36 IST
Reason: SelfAttested